न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 02/2023

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, बालोतरा		श्री सोमराम पुत्र श्री मेखाराम जाति विश्नोई, मैसर्स होटल गुरू कुपा, भुका भगतसिंह, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30.04.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 28.10.2020 को उपनिरीक्षक पुलिस थाना सिणधरी द्वारा जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को दूरभाष पर सूचित किया गया। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी, बालोतरा को दूरभाष पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों की अनुपालना में गिरधारीराम, हैड कॉनिस्टेबल, श्री धकाराम बेल्ट नं 1633 कॉनिसटेबल, श्री वासूदेव बेल्ट नं 1982 कॉनिस्टेबल एवं प्रेमसूख बेल्ट संख्या 1356 ड्राईवर , पुलिस थाना सिणधरी मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स होटल गुरू कृपा, भुका भगतसिंह के व्यवसाय के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर होटल नौकर श्री सोमराज पुत्र श्री मेखाराम, जाति विश्नोई, निवासी जाम्बा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर उपस्थित मिला। उक्त होटल मे भोजन बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो चार घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (HPCL) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

जिला कल...
बालोतरा

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	06714	HPCL	28.100 Kg	15.600 Kg	12.400 Kg
2.	495607	HPCL	30.000 Kg	15.800 Kg	14.200 Kg
3.	281755	HPCL	29.000 Kg	15.700 Kg	13.300 Kg

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु उपयोग के 4 गैस सिलेण्डरों एवं गैस नलिका का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त किया गया। उक्त गैस सिलेण्डरों एवं गैस नलिका को मैसर्स सोढ़ा एच पी ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, भुका भगतसिंह के मैनेजर श्री माधोसिंह पुत्र श्री सूमेरसिंह, जाति राजपूत, निवासी भुका भगतसिंह, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा को सुपुर्द नामे पर सुपुर्द किये गये। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डरों एवं गैस नलिका का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स सोढ़ा एच पी ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी भुका भगतसिंह को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी की ओर से बावजूद पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने, अपना जवाब/पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही प्रतिवाद किया है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा

जिला कलक्टर
बालोतरा

7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरुप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 30.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बाड़मेर